



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"लेखा / बजट वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक:- 31/10 बजट (साख-सीमा)/2018-19  
सेवा में,

दिनांक:- 05.07.2018

कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी

.....।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में साख-सीमा का निर्गमन।

सन्दर्भ:- (1) शासनादेश संख्या 1741 / XVIII- (2) / 18-12 (11) / 2014 टी.सी. दिनांक 02.07.2018

(2) शासनादेश संख्या 1751 / XVIII- (2) / 18-12 (02) / 2012 दिनांक 03.07.2018

(3) प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून का पत्र संख्या-222/34 बजट(एस.पी.ए.-पुनर्निर्माण) / 18-19 दि 05.07.2018

महोदय,

शासनादेश संख्या-71/XXVII(7)/2015 दिनांक 12/04/2015 में निहित प्राविधानों तथा उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में निम्न विवरणानुसार कुल ₹0 4000.00 लाख ( ₹0 चालीस करोड़ मात्र ) की साख-सीमा अवमुक्त की जाती है।

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	खण्ड का नाम	साख-सीमा कोड	कोषागार	अलोटमेंट आई0डी0संख्या	वर्तमान में जारी साख-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग	1867	रुद्रप्रयाग	C1807060076	953.47
2	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	1866	ऊखीमठ	C1807060077	204.74
3	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी	1862	उत्तरकाशी	C1807060078	1.57
4	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	निर्माण खण्ड, पुरोला	1865	पुरोला	C1807060079	1424.06
5	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट	1860	डीडीहाट	C1807060080	496.70
6	विशेष आयोजनागत सहायता- पुनर्निर्माण	निर्माण खण्ड, अस्कोट	1863	अस्कोट	C1807060081	919.46
योग:- (क्रमांक 01 से 06 तक)						4000.00

कृपया खण्डवार/अलोटमेंट आई0डी0 वार अवमुक्त साख-सीमा के सापेक्ष ई0सी0सी0एल0 के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- खण्डवार /अलोटमेंट आई0डी0वार निर्गत साख-सीमा।

भवदीय

(प्रमोद कुमार जोशी)  
वित्त नियंत्रक

1-T  
up load करे।

07.07.18

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।

(2) अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून

(3) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़।

(4) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय /निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, .....

(5) अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सेल, कार्या0प्रमुख अभियन्ता(विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि., देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न:- खण्डवार/अलोटमेंट आई0डी0वार निर्गत साख-सीमा।

07/07/18  
वित्त नियंत्रक

कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)